—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 104/2019

उनवान

1. पन्ना सिंह
2. अन्ना सिंह
3. धन्ना सिंह पि. मेवा समस्त जाति रावत निवासी ग्राम मानपुरा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. भागचन्द पुत्र मांगीलाल जाति रावत निवासी ग्राम मुहामी, नसीराबाद,
2. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा बीर, अजमेर,
3. उप पंजीयक नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया
2 अनुपस्थित, 3 व 4 जरियें राज. पेरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 19.11.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मानपुरा प.म. कानाखेडी के वर्किंग खसरा नम्बर 175 रकबा 22—19—10 के हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 की आराजी नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 22.03.1998 से वादीगण के पिता मेवा पुत्र दोला के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। मेवा पुत्र दोला की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण ही काबिज काश्त है। राजस्व अधिकारियों ने हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहा है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नही है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण कों घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे की आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नही करे भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण/बैचान नही करे [illegible] तलब किया गया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को [illegible] मुतनाजा प्रतिवादी संख्या [illegible] के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश [illegible] 1 के दादा भोमा पुत्र दोला को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:05:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त अराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहा। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तेनी है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादी

3. आया आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 के दादा को आवंटित हुयी व कब्जा प्रतिवादी को होने से वाद खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी धन्ना सिंह व अन्ना सिंह का शपथ पत्र पेश किया किन्तु गवाह जिरह हेतु उपस्थित नही होने के कारण शपथ पत्र नही पढे गये।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकीवार निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाते है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

तनकी संख्या 1 :–

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मानपुरा प.म. कानाखेडी के वंर्किग खसरा नम्बर 175 रकबा 22–19–10 के हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 की आराजी नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 22.03.1998 से वादीगण के पिता मेवा पुत्र दोला के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। मेवा पुत्र दोला की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण ही काबिज काश्त है। राजस्व अधिकारियों ने हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। पत्रावली वर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 175 रकबा 22–19–10 में से 9–0–0 भूमि वादीगण के पूर्वज मेवा पुत्र दोला व 9–0–0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के दादा भोमा पुत्र दोला को आवंटित हुयी। उक्त वंर्किग खसरा नम्बर 175 के हाल खसरा नम्बर 245 रकबा 0.78 पर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 पर प्रतिवादी संख्या 1 का पूर्ण हिस्सा दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 के दादा को 9–0–0 भूमि ही आवंटित हुयी थी। किन्तु हाल खसरा नम्बर 247 व 245 का कुल रकबा 2.23 में से 1.84 है. भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। जबकि वंर्किग जमाबंदी अनुसार 9–0–0 भूमि हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि उसके दादा को आराजी मुतनाजा का आवंटन हुआ था किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के दादा को सम्पूर्ण [illegible] आवंटित हुई थी। उक्त 9–0–0 के आराजी का आवंटन नही होकर मात्र 9–0–0 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज है। वादीगण हाल खसरा नम्बर 247 रकबा [illegible] 0.78 में प्रतिवादी संख्या 1 का व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खसरा [illegible] वादीगण निर्णित की जाती है। नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज हैं। अतः तनकी आंशिक रूप से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:05:22 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त अराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहा। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तेनी है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादी

3. आया आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 के दादा को आवंटित हुयी व कब्जा प्रतिवादी को होने से वाद खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी धन्ना सिंह व अन्ना सिंह का शपथ पत्र पेश किया किन्तु गवाह जिरह हेतु उपस्थित नही होने के कारण शपथ पत्र नही पढे गये।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकीवार निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाते है।

तनकी संख्या 1 :–

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम मानपुरा प.म. कानाखेडी के वंर्किग खसरा नम्बर 175 रकबा 22–19–10 के हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 की आराजी नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 22.03.1998 से वादीगण के पिता मेवा पुत्र दोला के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। मेवा पुत्र दोला की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण ही काबिज काश्त है। राजस्व अधिकारियों ने हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। पत्रावली वर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 175 रकबा 22–19–10 में से 9–0–0 भूमि वादीगण के पूर्वज मेवा पुत्र दोला व 9–0–0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के दादा भोमा पुत्र दोला को आवंटित हुयी। उक्त वंर्किग खसरा नम्बर 175 के हाल खसरा नम्बर 245 रकबा 0.78 पर प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 पर प्रतिवादी संख्या 1 का पूर्ण हिस्सा दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 के दादा को 9–0–0 भूमि ही आवंटित हुयी थी। किन्तु हाल खसरा नम्बर 247 व 245 का कुल रकबा 2.23 में से 1.84 है. भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। जबकि वंर्किग जमाबंदी अनुसार 9–0–0 भूमि हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी। प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि उसके दादा को आराजी मुतनाजा का आवंटन हुआ था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के दादा को सम्पूर्ण आराजी का आवंटन नही होकर मात्र 9–0–0 भूमि ही आवंटित हुई थी। उक्त 9–0–0 के हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 1.45 की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खसरा नम्बर 245 रकबा 0.78 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज हैं। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:05:22 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार हाल खसरा नम्बर 247 का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। किन्तु हाल खसरा नम्बर 245 पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज है। वादीगण के पिता का साबिक राजस्व अभिलेख में 9–0–0 भूमि आवंटित हुयी जिसका कुल रकबा हाल राजस्व अभिलेख में 1.44 वादीगण के नाम अंकित होना था। किन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलालन क्षेत्रफल अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 175 रकबा 22–19–10 के हाल खसरा नमबर 245 व 247 ही बने है। इसके अतिरिक्त अन्य हाल खसरा नम्बर वंर्किग खसरा नम्बर से बनना वादीगण द्वारा सिद्व नही किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित खसरा नम्बर 247 का रकबा पूर्व में आवंटित रकबे के बराबर होने के कारण उसका इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही है। वादी ने अपने वाद में वंर्किग खसरा नम्बर 175 के हाल खसरा नम्बर 247 का अनुतोष चाहा है किन्तु खसरा नम्बर 247 के स्थान पर 245 का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। हाल खसरा नम्बर 245 भ्भी वंर्किग खसरा नम्बर 175 से ही बना है। खसरा नम्बर 245 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा वादीगण के साथ दर्ज है, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण व पूर्व में दर्ज खातेदार वादीगण की बहिन रतनी पुत्री मेवा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी आंशिक रूप से बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को 9–0–0 बीघा भूमि ही आंवटित हुयी थी, जो हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 245 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 245 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित है। अतः उक्त खसरा नम्बर 245 पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण व रतनी पुत्री मेवा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त खसरा नम्बर पर प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 से ऋण प्राप्त किया है। किन्तु आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 245 का इन्दाज त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दर्ज रहन का इन्द्राज वादीगण के हितों पर अप्रभावी है। तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम मानपुरा के हाल खसरा नम्बर 245 रकबा 0.78 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण व रतनी पुत्री मेवा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:05:22 IST
Reason: SelfAttested

उनवान

पन्ना सिंह बनाम भागचन्द

राजस्व मुकदमा नम्बर – 104/2019
पेश करने की दिनांक – 29.8.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम मानपुरा के हाल खसरा नम्बर 245 रकबा 0.78 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण व रतनी पुत्री मेवा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बदस्तखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 11 सन् **2025** को जारी की गयी।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:05:22 IST
Reason: SelfAttested